कार्यालय – उप जिलाधिकारी, रानीखेत
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत् प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, रानीखेत

उपखण्ड रानीखेत परिक्षेत्र के अल्मोड़ा वन प्रभाग की रीवर रेंज के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताड़ीखेत में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from गगास से छियारीखाल से खानिया .... (Total Length 1.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.45 है0 तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.45 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab)** के पक्ष में 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति,(तहसील –) की दिनांक 13/3/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री रंजू अग्रवाल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री रंजू अग्रवाल उप जिलाधिकारी रानीखेत अध्यक्ष।
2. श्री चन्द्रशेखर जोशी उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत सदस्य।
3. श्री नम्रता गौड़ सहायक समाज कल्याण अधिकारी ताड़ीखेत सदस्य।
4. श्री श्रीमती पुष्पा देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र (रानी) ताड़ीखेत सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि चमोली वन प्रभाग के रीवर रेंज अन्तर्गत .... के विकास खण्ड ताड़ीखेत में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from** गगास से छियारीखाल से खानिया (Total Length 1.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि . 0.45 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab)** के पक्ष में 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु संस्तुति की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी (................) अल्मोड़ा वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसम्मति से .... परिक्षेत्र के अन्तर्गत .... वन प्रभाग के रीवर रेंज अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताड़ीखेत में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from** गगास से छियारीखाल से खानिया (Total Length- 1.5 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.45 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab)** को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करके प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील............ / जनपद–...........

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

उपजिलाधिकारी रानीखेत
जनपद अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

उप जिलाधिकारी, द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताड़ीखेत में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from गगास - डिढ़ाटीरयाल - खानियां .... (Total Length 15 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.45 है0 वन भूमि को 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय की पत्र सं0 11–9 /98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा सडक निर्माण, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त रखा गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित/आंबटित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आंवटित 0.45 है0 वन भूमि /बंजर कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे है।

For Vindhya Telelinks Ltd.
Vaibhav Shah
DGM Project
(प्रयोक्ता)

तहसीलदार
तहसीलदार, रानीखेत

वन क्षेत्राधिकारी
क्षेत्र–.......
रानीखेत (अल्मोड़ा)

उप जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
रानीखेत

उपजिलाधिकारी रानीखेत
जनपद अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)